निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 590.00

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी–263139

दुग्ध परिवहन कार्यों (लालढांग एवं गैंडीखाता क्षेत्र) हेतु छोटा हाथी/पिकअप वाहनों हेतु निविदा

नि0 सू0 संख्याः 04(1–6)/यूसीडीएफ/2026–27 दिनांकः 11.06.2026

ऑंचल
AANCHAL

नोट– कृपया तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में रखकर दोनों को एक सीलबन्द लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 25.06.2026 को सायं 5:00 बजे तक जमा करें।

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी

ई–निविदा सूचना संख्या 04(1–6)/यूसीडीएफ/2026–27 दि. 11.06.2026

निम्नलिखित कार्यो हेतु ई–निविदाएं वर्णित कार्य से सम्बन्धित अनुभवी, प्रतिष्ठित, वित्तीय रुप से सुदृढ़ निर्माताओं/फर्मो/अधिकृत डीलरों से दिनॉक 25.06.2026 को सांय 5.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो दिनॉक 26.06.2026 को खोली जाऐंगी–

क. सं.	कार्य का नाम
1.	टेट्रा पैक में यूएचटी दूध एवं दुग्ध उत्पादों का कार्य शुल्क (वर्क चार्ज) आधार पर निर्माण– आनलाईन
2.	'बीओटी' मॉडल पर बायो–सीएनजी परियोजना हेतु निजी भागीदार के चयन के लिए प्रस्ताव आमंत्रण (आरएफपी)– आनलाईन
3.	उत्तराखण्ड राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री संवर्धन, विपणन गतिविधियों के संचालन तथा ब्राण्ड प्रचार–प्रसार हेतु मार्केटिंग एजेंसी के चयन/नियोजन के लिए निविदा आमंत्रण– आनलाईन
4.	बी0एम0सी0 बालावाली, हरिद्वार को आउटसोर्स के माध्यम से संचालित किए जाने हेतु– आनलाईन
5.	30 डी0जी0 सेट की आपूर्ति एवं स्थापना– आनलाईन
6.	लालढांग/गैंडीखत्ता क्षेत्र, हरिद्वार में दुग्ध परिवहन के लिए किराए वाहन हेतु– आफलाईन

ऑन लाइन टैन्डर – समस्त दस्तावेज ऑन लाईन ई–टैन्डर पोर्टल में देखे व डाउनलोड किये जा सकते हैं। **http://www.uktenders.gov.in**

ऑफ लाइन टैन्डर– निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा संस्था की वेबसाईट **www.ucdfaanchal.com** से डाउनलोड किया जा सकता है।

सामान्य प्रबन्धक (प्रशा0)

निविदा फार्म– उपार्जन अनुभाग (तकनीकी बिड)–01

फार्म संख्या– [ ] निविदा प्रपत्र मूल्य– 590 रु०(पाँच सौ नब्बे) (समस्त कर सहित)

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें।)

फोटो ग्राफ

1– मार्ग का नाम – : ....

2– निविदादाता का नाम – : ....

3– पिता/पति का नाम –: ....

4– स्थाई पता (अनिवार्य)– : ....

....

5– पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य)–....................

....

6– दूरभाष संख्या (अनिवार्य)....................

7– पैन कार्ड संख्या (निविदा शर्त संख्या 04 के अनुरूप) (संलग्न) ....

8– आधार कार्ड संख्या (संलग्न)....................

9– जमा अर्नेस्ट मनी विवरण – बैंक का नाम ....

डाफ्ट संख्या .... धनराशि .... दिनांक ....

नगद जमा धनराशि .... रसीद संख्या .... दिनांक ....

10– वाहन से सम्बन्धित निम्न सूचनायें अंकित करें (निविदा शर्त संख्या 08 के अनुरूप)

क– वाहन का प्रकार .... माडल वर्ष..............भार क्षमता ....

ख– पंजीकरण संख्या ....पंजीकरण तिथि..............

ग– वाहन स्वामी का नाम ....बीमा की वैधता (संलग्न)..............घ– वाहन परमिट की वैधता तिथि(संलग्न)..............फिटनैस(संलग्न)..............

11– निविदादाता द्वारा निम्न प्रपत्रों की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें (अनिवार्य)

क–वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर....................

ख– निविदा का स्थायी पता (आधार नम्बर/मतदाता पहचान पत्र) (संलग्न)..............

ग–निविदा मूल्य की जमा रसीद/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति....................

घ–धरोहर/अर्नेस्ट मनी जमा करने सम्बन्धी संस्था की रसीद की मूलप्रति/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति

निविदा शर्ते संलग्न

ह0 निविदादाता ....

दिनाँक..............

पूरा नाम ....

पताः– ....

निविदा की शर्ते एवं आवश्यक निर्देश

01—:एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।

02—:निविदायें, **प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड को—ऑरेटिव डेरी फैडरेशन लि0**, के नाम से दिनांक **25.06.2026 को सायं 05:00 बजे तक उत्तराखण्ड को—ऑरेटिव डेरी फैडरेशन** के पते पर ही स्वीकार की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्धित समस्त मार्गों की निविदायें डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। दिनांक **26.06.2026** को प्रातः 11:00 निविदा कमेटी के सम्मुख खोली जाएंगी।

03—: लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में **उर्पाजन कार्य हेतु निविदा एवं मार्ग** का नाम तथा निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। निविदा की शर्ते एवं आवश्यक निर्देश के अन्त में स्थायी पता अंकन करना अनिवार्य होगा।

04—निविदा फार्म मे निविदादाता को स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ लगाना होगा तथा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र (डी0एल0/आधार कार्ड आदि) निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को पैन कार्ड की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स की कटौती बिलों से कर ली जायेगी।

05—: वाहन का मॉडल 2016 से कम नहीं होना चाहिये।

06—: निविदा मे पावर आफ एर्टोनी एवं वाहन से संबंधित कम्पनियों का कोटेशन मान्य नहीं होगी।

07—: समान दरें प्राप्त होने पर नये मॉडल के वाहन को वरीयता दी जायेगी।

08—: **निविदा फार्म के साथ वाहन की आर0सी0, परमिट एवं समस्त सही (वैध) प्रपत्र साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के भीतर समस्त वैध प्रपत्रो की स्वप्रमाणित छाया प्रति निविदा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तद्उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।**

09—: वाहन निविदादाता के नाम पर पंजीकृत होना चाहिये। अन्य किसी भी प्रकार का **प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/विक्रय पत्र/कोटेशन आदि मान्य नहीं होंगे।**

10—: **उत्तराखण्ड राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनो** को निविदा मे भाग लेने पर निविदा के साथ उत्तराखण्ड राज्य मे जमा टैक्स आदि के वैध प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करने होगे।

11—: संस्था में जमा अर्नेस्ट मनी की रसीद की मूल प्रति/छाया प्रति अथवा बैंक ड्राफ्ट जो इस संस्था के नाम से देय हो मूल रूप में संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

12—: उपरोक्त दोंनो वाहनों हेतु मु0 5000 (पाँच हजार रू0 मात्र) अर्नेस्ट मनी नगद/ड्राफ्ट से जमा करानी होगी। रसीद की छाया प्रति या बैंक ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा। चैक मान्य नही होगा, पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा में मान्य नही होगी।

13—: यू0सी0डी0एफ0 की वैबसाईड www.ucdfaachal.org से निविदा डाउनलोड किये जाने पर, निविदा फार्म शुल्क के रूप मे रू0 590.00 की रसीद/ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14—: निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र मे दिये गये वाहन की निविदा स्वीकार हो जाने के पश्चात किसी भी दशा मे उसके प्रतिनिधि को निविदा हस्तांतरित नही की जा सकेगी।

15—: निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अधीन होगा।

16—: संस्था के दुग्ध मार्गो मे समितियॉ बढाई/घटाई जा सकती है। आवश्यकता नही होने पर बिना कारण बताये एक मॉह के नोटिस पर वाहन हटाया जा सकता है।

17—: डीजल की कीमत का भुगतान किए जाने की दशा में साधारण डीजल की दर से देय होगा। वाहनों को दिए जाने वाले डीजल की मात्रा पिकअप/समकक्ष को 10 किमी0 पर 1.0 लीटर एवं छोटा हाथी/समकक्ष को 13 किमी0 पर 1.0 लीटर डीजल देय होगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात कार्यादेश जारी होने की तिथि के समय डीजल की दरें आधार मानी जाएंगी। उक्त तिथि से दरों में होने वाली बढोतरी एवं कटौती के अनुसार दुग्ध परिवहन कर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों में डीजल दर (वृद्धि/कमी) के अनुसार भुगतान किया जाएगा। डीजल दरों का निर्धारण पाक्षिक/मासिक औसत के रुप में देय होगा।

18—: निविदा प्रपत्र में संशोधन होने की स्थिति में संशोधित निविदा सूचना संस्था वैबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जाएगी।

19–: जमानत धनराशि निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त **वाहनो के लिये रू0 10000.00 (दस हजार)** जमानत धनराशि संस्था कोषागार मे नगद अथवा बैक ड्राफ्ट जो **उत्तराखण्ड को–ऑरेटिव डेरी फैडरेशन लि0,** के नाम से हो जमा करना होगा।

20– निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को संस्था के साथ अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की शर्ते किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है, अनुबन्ध करने हेतु मु0 100.00 रू0 का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा।

21–: शासन द्वारा संचालित जिला योजना एवं राज्य योजना के अन्तर्गत साईलेज/पशुआहार चारा परिवहन अनुदान एवं भूसा ब्लॉक समितियों की माँग के अनुसार परिवहनकर्ता के द्वारा उपलब्ध करना होगा, जिसका परिवहन का ढुलान शासन द्वारा निर्धारित दरों पर संस्था द्वारा देय होगा, जिसका समायोजन शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि में किया जायेगा।

22– अनुबन्धित दुग्ध परिवहनकर्ता वाहन के द्वारा दुग्ध परिवहन के समय वाहन के साथ, वाहन चालक/परिचालक के साथ एवं वाहन के द्वारा किसी भी प्रकार की अपरिहार्य घटना/दुर्घटना के लिए यह संस्था जिम्मेदार नहीं होगी।

23–: अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष हेतु होगी। आवश्यकता पडने पर अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात 03–03 मॉह हेतु दो बार (अधिकतम 06 मॉह हेतु) उन्ही दरो एवं शर्तो पर अवधि बढाये जाने पर निविदादाता को दुग्ध ढुलान करने की बाध्यता होगी तथा बढाई गयी अवधि मे भी अनुबन्ध की समस्त शर्ते निविदादाता को मान्य होगी।

24–: प्रत्येक मार्ग के लिये अलग–अलग निविदा प्रपत्र भरकर देना होगा। एक वाहन से केवल एक ही मार्ग की निविदा मान्य होगी। दो अथवा अधिक मार्गो के लिये एक ही वाहन की निविदा भरे जाने पर निविदादाता की समस्त मार्गो की निविदाये निरस्त कर अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी।

25–: निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को वाहन के निरीक्षण हेतु सूचना मिलने पर निर्धारित तिथि को वाहन सहित बीएमसी, कटेबड लालढांग, हरिद्वार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

26–: निविदा फार्म में ओवर राईटिंग मान्य नही होगी। त्रुटि हो जाने पर ओवर राईटिंग न कर कटिंग करते हुए पुनः स्पष्ट रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

27–: निविदा स्वीकार होने के उपरान्त वाहन के रूट की दूरी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, जिसमें निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

28–: परिवहनकर्ता द्वारा अपने स्टाफ (चालक/परिचालक) का ई0पी0एफ0 नियमानुसार ई0पी0एफ0 कार्यालय मे जमा कराना अनिवार्य होगा। जिसका कोई भी उत्तरदायित्व इस संस्था का नहीं होगा।

29–: चालक/परिचालक की व्यवस्था परिवहनकर्ता को स्वयं करनी होगी। चालक का नाम, पता तथा डी0एल0 की छाया प्रति कार्यादेश प्राप्त करते समय संस्था को उपलब्ध करानी होगी। चालक के बदलने पर सूचना कार्यालय को देनी होगी। वाहन के समस्त रख रखाव की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

30–: सरकार द्वारा वाहनों पर लगाये जाने वाले समस्त कर आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा इसके लिये संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

31–: उपार्जन मार्गो पर लगने वाले कर जैसे पथकर, सेतुकर आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा किया जायेगा।

32–: निविदा स्वीकार होने पर **उत्तराखण्ड को–ऑरेटिव डेरी फैडरेशन लि0,** मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल की नाममात्र की सदस्यता लेनी होगी।

33–: निविदा फार्म के साथ मार्गवार दी गयी दूरी अनुमानित है, कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त संस्था के प्रतिनिधि द्वारा परिवहनकर्ता के साथ मार्ग की दूरी का सत्यापन किया जायेगा, उसी के अनुसार भुगतान देय होगा।

34–: अनुबन्ध होने पर अनुबन्ध की अवधि प्रत्येक दशा मे पूर्ण करनी होगी। अनुबन्ध अवधि मे परिवहनकर्ता द्वारा वाहन हटाये जाने पर जमा जमानत राशि जब्त कर दी जायेगी।

35–: निविदा प्रपत्र के साथ निविदा से सम्बन्धित सभी आवश्यक निर्देशों एवं मुख्य शर्तो को भलीभॉति पढकर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा फार्म मे संलग्न करना अनिवार्य है।

36– स्वीकृत निविदादाता को सम्बन्धित मार्ग की दुग्घ समितियों से दुग्ध संग्रहण कर ससमय सम्बन्धित अवशीतन केन्द्र तक पहुंचाना होगा। वाहन में अच्छी गुणवत्ता का तिरपाल लगाना अनिवार्य होगा। वाहन मे तिरपाल न लगे होने की स्थिति मे वाहन के समय पर पहुचने पर भी यदि दुग्ध समितियों का दूध खट्‌टा/फटने की स्थिति में जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी तथा उसके दुग्ध ढुलान बिलो से खट्‌टे/फटे हुए दूध की धनराशि वसूली संबंधित परिवहनकर्ता से कर ली जायेगी।

37– निविदादाताओं को निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर बैक खाता न0 उपलब्ध करना अनिवार्य होगा, किसी भी निविदादाता को नगद भुगतान देय नही होगा।

38–: यह कि संस्था मे कार्यरत कर्मचारी अथवा उसके आश्रित की निविदा स्वीकृत नही की जायेगी । जिसे उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम संख्या 2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के "परिवार का सदस्य" को निम्नवत परिभाषित किया गया है–

नियम संख्या–2 (ग):–

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लडकी चाहे वह उनके साथ रहता/रहती हो अथवा नही, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति,

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या संबंधी हो या ऐसे सरकारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नही होगी/सम्मिलित नही होगा, जो सरकारी कर्मचारी सें विधितः पृथक की गई हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लडका, सौतेला लडका अविवाहित सौतेली लडकी सम्मिलित नही होगा, या/सम्मिलित नही होगी जो आगे के लिये, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नही है या जिसकी अभिरक्षा (custody) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

39–: निविदादाताओं को वाहन संचालन हेतु समस्त वैधानिक कार्यवाहियॉ स्वयं पूर्ण करनी होगी।

40–: निविदा में टैक्निकल बिड की शर्तो को पूर्ण करने के उपरान्त ही फाइनैन्सियल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। यह कि निविदा टू–बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफें में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जायें तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे में ऊपर वित्तीय बिड लिखा जाये एवं दोनों लिफाफों को अलग–अलग बन्द कर एक बड़े लिफाफें में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी।

41: एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, **उत्तराखण्ड को–ऑरेटिव डेरी फैडरेशन** के पास सुरक्षित होगा।

42–: किसी भी प्रकार के विवाद में निबंधक, दुग्ध सहकारी समितियॉ डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्णय मान्य होगा।

43–: एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये संस्था के प्रबन्ध निदेशक, **उत्तराखण्ड को–ऑरेटिव डेरी फैडरेशन मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल** के पास सुरक्षित होगा।

44–: यह कि सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019–शासनादेश सं०1542/VII-3-19/143-उद्योग 2/2003 दिनांक 20 अगस्त 2019 की शर्तों के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।

नोट– उपरोक्तानुसार क्रम संख्या 01 से 44 तक की शर्ते पढकर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

ह0 निविदादाता ....

पता ....
....

मो0न0 ....

निविदा फार्म– उपार्जन अनुभाग (वित्तीय बिड)–02

बीएमसी लालढांग/गैंडीखाता क्षेत्र हरिद्वार

आँचल

आँचल

फार्म संख्या–

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल..

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें।)

1– मार्ग का नाम – : ....

2– निविदादाता का नाम – : ....

3– पिता/पति का नाम –: ....

4– स्थाई पता (अनिवार्य)– : ....

....

5– वाहन के किराये की दरें –:

1– रूपया प्रति किलोमीटर अंकों में ....रूपया प्रति किमी

शब्दों में ....रूपया प्रति किमी

घोषणा

निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देश एवं शर्तो को मैने अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है। मैं निविदा मे उल्लेखित शर्तो के अधीन उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल मे अपना वाहन लगा कर कार्य करने के लिये सहमत हूँ ।

उक्त प्रतिष्टियॉ मैने स्वयं भरी है/भरवाई है और मेरी जानकारी मे पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनाये गलत पायी जाये, तो संस्था को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उक्त के सम्बन्ध मे हुये निविदा /अनुबन्ध को बिना नोटिस दिये निरस्त कर दें। अर्नेस्ट मनी के रूप मे जमा की गयी धनराशि रू0 .... की रसीद संख्या/ड्राफ्ट संख्या .... दिनॉक............................. इस निविदा र्फाम के साथ संलग्न है।

नोट– वाहन के प्रपत्रो के साथ किसी प्रकार की छेडछाड, गलत सूचना सिद्ध होने पर संस्था द्वारा निविदा को निरस्त कर अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए 03 वर्षो हेतु संस्था की किसी भी प्रकार की निविदा/कोटेशन मे प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

ह0 निविदादाता ....

दिनाँक...........................

पूरा नाम ....

पताः– ....